



पत्रांक : कु0स0-2B स0अ0/3234/04-596-2019/2019

दिनांक : 20 फरवरी, 2019

सेवा में,

प्रबंधक,
प्रस्तावित हर हर महादेव महिला शिक्षण संस्थान,
मठना, चुनार,
मीरजापुर।

विषय: नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम की स्थापना हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02.01.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति/निर्बाधन (Clearance) प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पत्रांक-2103/सत्तर-2-2012-2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 27.02.2019 की संस्तुति पर मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार प्रस्तावित हर हर महादेव महिला शिक्षण संस्थान, मठना, चुनार, मीरजापुर को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल, हिन्दी, इतिहास, गृहविज्ञान, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं समाजशास्त्र विषयों की सम्बद्धता प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. उक्त पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा वहन किया जायेगा एवं इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग सम्बद्धता सम्बन्धी आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
2. उक्त विषय/पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।
3. उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्था शासनादेश सं0 3075/सत्तर-2-2002-2 (166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेश में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताओं एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
4. संस्था भविष्य में भूमि भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो शासन से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार/विश्वविद्यालय की होगी।
5. उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी लायबिलिटी (उत्तरदायित्व) से राज्य सरकार/विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।

6. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता संस्था द्वारा सम्बद्धता से पूर्व सुनिश्चित की जायेगी।
7. उक्त अनापत्ति जिलाधिकारी मीरजापुर की भूमि सत्यापन आख्या के आलोक में ग्राम-मठना, परगना-भुईली, तहसील-चुनार, जिला-मीरजापुर में गाटा सं० 1135 रकबा 0.578 हे० अर्थात् 5780 वर्गमीटर भूमि के सापेक्ष निर्गत किया जा रहा है।
8. भविष्य में महाविद्यालय की भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में कोई विवाद/अवैधानिकता प्रकाश में आने पर उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन स्वयं उत्तरदायी होगा।
9. संस्थान/महाविद्यालय द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय से समय-समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. अन्य भूखण्ड या स्थान पर संस्था संचालित किये जाने की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
11. शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा रु 100/- का फोटोयुक्त नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
12. शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 के आलोक में महाविद्यालय को सन्दर्भित विषयों/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय से यू०जी०सी० अर्हताधारी योग्य प्राचार्य/शिक्षकों का अनुमोदन एवं नियुक्ति न किये जाने की दशा में सम्बद्धता की कार्यवाही पर विचार नहीं किया जायेगा।

कृपया उरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. वै०स०, कुलपति - माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, उच्च शिक्षा उ० प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. सम्बंधित पत्रावली।

कुलसचिव